

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**  
**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/77552/KPN/KANPUR NAGAR/1924/CFO  
दिनांक : 28-03-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **VIDYASAGAR EDUCATION CENTRE** पता **VILLAGE- TIKARA, TIKARA NARWAL, KANPUR NAGAR** तहसील - **NARVAL** प्लॉट एरिया **1962.50 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3327.02** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई     |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| BLOCK A    | 4                                 | 0                  | 14.20 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **VIDYASAGAR EDUCATION CENTRE** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **29-03-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ASHISH KUMAR TIWARI E-Mail ID : csashishtiwari@gmail.com Mobile No. : 9336466814** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-03-2023** से **29-03-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **VIDYASAGAR EDUCATION CENTRE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **VIDYASAGAR EDUCATION CENTRE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

**Note :** The School Building is Operational since long , Hence ,The NOC is Issued as per NBC-2016 on the basis of Recommendations of FSSO Jajmau with the following: 1.To Maintain All Fire Fighting System in Operational mode Always and depute a Trained Fire Safety Supervisor for Emergency duties. 2.To Keep free Access to All Exits / Escape routs Always and Electrical Safety Audit is Mandatory for entire Premises. 3.The Issued NOC will be Cancelled Automatically Incase of any deviation in above Conditions and for False Information / Report.



निर्गत किये जाने का दिनांक : **30-03-2023**  
स्थान : **KANPUR NAGAR**

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**DEEPAK SHARMA**

B71BCBD890E841A82E9C61C61AA329ECEC704410

30-03-2023

*Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.*

**VIDYASAGAR EDUCATION CENTRE**

**MANAGER**

**VIDYASAGAR EDUCATION CENTRE**

**Principal**